(26)

संख्या–584 / पांच–1–2020–5(36) / 2017

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 5 जून, 2020

विषय–: उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन में आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती किये जाने हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3446 / वित्त / 2020–21, दिनांक 23 अप्रैल, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड को सुचारु रुप से संचालित किये जाने एवं जनपदीय औषधि भंडार गृह के संजाल को सक्रिय करने के लिये प्रतिनियुक्ति / संविदा / आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–466 / पांच–1–2020–5(36) / 2017, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 40 पदों एवं जनपदीय वेयर हाउस हेतु 320 पदों तथा शासनादेश संख्या–545 / पांच–1–2020–5(36) / 2017, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 पदों का अस्थायी रुप से सृजन किये जाने से सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये थे। अब पुनः आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा किये गये अनुरोध एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर पर 20 पद, जिनका विवरण नीचे अंकित है, को अस्थायी रूप से आदेश निर्गत होने की तिथि से 28.02.2021 तक के लिये बशर्ते इन पदों को पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मुख्यालय हेतु पदों का सृजन :–

क्रम सं0	पदनाम एवं विभाग	पूर्व में स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद	मैट्रिक्स लेवल प्रतिनियुक्ति की स्थिति में प्रस्तावित	भर्ती का स्रोत
1-	प्रबन्ध निदेशक प्रबन्धन	01	---	---	---
2-	अपर प्रबन्ध निदेशक प्रशासन	01 (प्रबन्धन)	---	---	---
3-	कम्पनी सचिव (निगम कार्य)	01	---	---	---
4-	वित्त नियंत्रक (वित्तीय योजना	01	---	---	---

GM(AHC)
23/06/2020

1713 – d
23/06/20

	एवं विश्लेषण)				
5-	सलाहकार गुणवत्ता नियंत्रण	01 (औषधि उपार्जन)	—	—	—
6-	सलाहकार (उपकरण एवं सेवायें उपार्जन) उपकरण उपार्जन		01	13	प्रतिनियुक्ति / संविदा
7-	सलाहकार लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउस आपूर्ति श्रृंखला		—	—	—
8-	महाप्रबन्धक वित्त एवं लेखा	05 (औषधि उपार्जन, उपकरण उपार्जन, प्रशासन मानव संसाधन एवं विधि, गुणवत्ता नियंत्रक, आपूर्ति श्रृंखला)	—	—	—
9-	प्रबन्धक वित्त एवं लेखा	—	01	10	प्रतिनियुक्ति / संविदा
10-	प्रबन्धक सेवायें	08 (औषधि उपार्जन, उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, आई0टी0 मानव संसाधन, प्रशासन, आपूर्ति श्रृंखला, वेयर हाउस)	—	—	—
11-	प्रबन्धक विधि		01	10	प्रतिनियुक्ति / संविदा
12-	सहायक प्रबन्धक (वेयर हाउस) आपूर्ति श्रृंखला	—	03	9	प्रतिनियुक्ति / संविदा
13-	लेखाधिकारी वित्तीय योजना एवं विश्लेषण	01 (वित्त एवं लेखा / वित्तीय योजना एवं विश्लेषण)	01	8	प्रतिनियुक्ति / संविदा
14-	लेखाधिकारी वित्त एवं लेखा		01	8	प्रतिनियुक्ति / संविदा
15-	फार्मासिस्ट औषधि उर्पाजन	01	04	8	प्रतिनियुक्ति / संविदा
16-	फार्मासिस्ट गुणवत्ता नियंत्रक	01	03	8	प्रतिनियुक्ति / संविदा
17-	बायो–मेडिकल इंजीनियर उपकरण उपार्जन	02 (गुणवत्ता नियंत्रण, उपकरण उपार्जन)	01	8	प्रतिनियुक्ति / संविदा
18-	एक्जीक्यूटिव आई0टी0	01	—	—	—
19-	एक्जीक्यूटिव / कार्यालय सहायक (निगम के सभी अनुभाग)	09	02	3	संविदा / आउटसोर्सिंग
20-	कम्प्यूटर आपरेटर (निगम के सभी अनुभाग)	11	02	2	आउटसोर्सिंग
21-	वैयक्तिक सहायक	02	—	—	—
22-	कार्यालय सहायक	03	—	—	—
23-	चतुर्थ श्रेणी मुख्यालय	12	—	—	—

(24)

24-	सुरक्ष कर्मी / सफाई कर्मी मुख्यालय	----	आउटसोर्स आफ सर्विसेज के आधार पर	----	आउटसोर्सिंग आफ सर्विसेज के आधार पर
25-	कुल योग :–	61	20		

प्रदेश के 75 जनपदों के जनपदीय वेयर हाउस हेतु पदो का सृजन :–

क्रम सं0	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद
	20 बड़े जनपद हेतु		
1	फार्मासिस्ट	40	----
2	कम्प्यूटर आपरेटर	20	----
3	हैण्डलर	20	----
4	चतुर्थ श्रेणी	20	----
5	सफाई कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी	----	----
	योगः–	100	----
	55 छोटे जनपदों हेतु		
1	फार्मासिस्ट	55	----
2	कम्प्यूटर आपरेटर	55	----
3	हैण्डलर	55	----
4	चतुर्थ श्रेणी	55	----
5	सफाई कर्मी एवं सुरक्षा कर्मी	----	----
	योगः–	220	----
	कुल योगः–	320	----

(1) उक्त स्वीकृत किये जा रहे 20(बीस) पद अस्थायी हैं तथा 28.02.2021 तक की अवधि के लिये इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पर नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से इस प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाते हैं, बशर्ते कि इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

(2) चूँकि सृजित होने वाले नियमित पदों पर वेतन भत्तों व अन्य पदों पर आने वाले व्यय की वास्तविक आवश्यकता नियुक्ति / तैनाती की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात ही होगी। अतएव इस पर आने वाले व्यय–भार हेतु आवश्यक धनराशि के लिये वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) SIFPSA परियोजना के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर 75 तथा जनपद स्तर पर 85 कार्मिक कार्यरत् है और इनके वेतन मद में प्रतिमाह 163.00 लाख व्यय किया जा रहा है। SIFPSA परियोजना के कियान्वयन की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है। अतः उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 में रिक्त पदों पर SIFPSA के कार्मिकों को re-deploy किया जाय।

(23)

(4) सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवाओं के आउटसोर्स के आधार पर सृजित होने वाले पदों की सेवाएँ 'आउटसोर्स आफ सर्विसेज' के आधार पर ली जायेगी तथा सेवाप्रदाता एजेन्सी का चयन पारदर्शी रीति से सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–534/दस–2020 दिनांक 05 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4–वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग–4/वित्त(वेतन–आयोग) अनुभाग–1/2
5–चिकित्सा अनुभाग–6
6–गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनुसचिव।